

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी -डॉ०सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 14/21

तारीख रजू 17.02.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) खण्डार

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामदयाल पुत्र नाथूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार
2. सम्पत पत्नी रामदयाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार

.....अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक...10/4/23

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) खण्डार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 24.06.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण रामदयाल पुत्र नाथूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार एवं सम्पत पत्नी रामदयाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 175/46 रकबा 2.00 बीघा वाके ग्राम गण्डायता में आदेश दिनांक 24/06/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 175/46 रकबा 2.00 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत्त बहरावण्डाखुर्द व पटवारी हल्का जैतपुर की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जाकाशत नहीं होने एवं आवंटन के समय से ही अब तक मौके पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 175/46 रकबा 2.00 बीघा पर भू.अ.निरीक्षक वृत्त बहरावण्डाखुर्द व पटवारी हल्का जैतपुर की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जाकाशत नहीं है एवं आवंटन के समय से ही अब तक मौके पर कब्जा नहीं है तथा मौके पर आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। पुनःश्च


अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2074-77 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थी का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 24.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया है कि उक्त आवंटित भूमि आवंटन दिनांक से हमारे कब्जे काशत में चली आ रही है तथा हम ही उक्त भूमि पर काबिजे काशत है। पटवारी हल्का जैतपुर एवं भू.अ.निरीक्षक बहरावण्डाखुर्द ने गलत खसरा गिरदावरी पेश की है। किन्तु वकील प्रार्थी द्वारा कब्जे काशत के सम्बन्ध में एक भी वर्ष की गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे साबित हो सके कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का ही कब्जा काशत है जबकि भू.अभिलेख निरीक्षक बहरावण्डाखुर्द एवं पटवारी हल्का जैतपुर की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2021 के अनुसार आवंटि का मौके पर कब्जा नहीं है।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार खण्डार से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण रामदयाल पुत्र नाथूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार एवं सम्पत पत्नी रामदयाल जाति बैरवा निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 175/46 रकबा 2.00 बीघा वाके ग्राम गण्डायता आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत्त बहरावण्डाखुर्द व पटवारी हल्का जैतपुर की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2021 के अनुसार अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काशत नहीं है व कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं रहा है एवं खसरा गिरदावरी संवत 2074-77 के अनुसार भूमि पड़त है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटि द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 175/46 रकबा 2.00 बीघा वाके ग्राम गण्डायता पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 24.06.2002 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गण्डायता के आराजी खसरा नम्बर 175/46 रकबा 2.00 बीघा वाके ग्राम गण्डायता को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 10.14.23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर